

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

कमांक 8(8)त.शि/2016

जयपुर, दिनांक 16.2.17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंभानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थियों को जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, अग्रेजी के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत अधिस्नातक अभ्यर्थियों को वेतन श्रंखला 15600-39100 में न्यूनतम ग्रेड पे 5400/-रु. में अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है-

S.no	Name & Address of Candidate	Category & Merit no	Date of Birth	पदस्थापन स्थान
1	श्री सम्पत लाल भादू पुत्र श्री हरनाम राम भादू, पता चक नं 1, बीजेएम (भैरुजी माइनर) आर डी 845, ई.गा.न.परि पोस्ट बज्जू तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान।	BC / एम 04	10.12.1984	राजकीय पोलि. महाविद्यालय, बूंदी
2	श्री सत्यप्रकाश ढाका पुत्र श्री बोदूराम ढाका, पता गांव डाला मास पोस्ट ऑफिस भोजासर, बडा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान पिन 32312	BC/एम 07	25.12.1989	राजकीय पोलि. महाविद्यालय, दौसा
3	श्री संजय मीना पुत्र श्री रामधन मीना, 3 महावीर नगर, रेल्वे स्टेश के पास, रणथंबोर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान पिन नं 322001.	ST/एम 18	1.4.1984	राजकीय पोलि. महाविद्यालय, टोंक

- उक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक परीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रुपये 22,180/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
- परीक्षाकाल में इन्हे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
- परीक्षाकाल में स्थिर परिलाभो में से कोई कटौतियां (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इश्योरेंस) नहीं की जायेगी और इन्हे प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
- 2 वर्ष का परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रंखला 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- देय होगी तथा परीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हे वेतन श्रंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
- वित्त (नियम) विभाग के आदेश कमांक एफ 13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

P T O

kechhke hi
copyload w/ent

1/01

2/10/2

6. उक्त अभ्यार्थियों की नियुक्ति वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफ डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.06, एफ 12(6) एफ डी/रूल्स/05 दिनांक 13.3.06, एफ 13(1)एफ डी/रूल्स/06 दिनांक 13.3.06, के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।
7. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 1.1.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
8. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि में पदस्थापन आदेश पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से

(एम.एम.सतिया)

संयुक्त सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र एफ 7(55)भर्ती-क/गोपनीय/2013-14/1943 दिनांक 26.10.2016 के क्रम में।
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलि. महाविद्यालय
6. संबंधित अभ्यार्थि(रजिस्टर्ड पत्र से)
7. निजी/रक्षित पत्रावली

Abdul Razaq

(अब्दुल रजाक)

सहायक शासन सचिव त.शि.